बिहार सकरार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक–स्था02/02–04/2015 17 पटना, दिनांक– 11.08.17

प्रेषक,

पूनम(भा०प्र०से०)
निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, भोजपुर, गया, जहानाबाद, नवादा, बेगूसराय, बांका, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सिवान एवं गोपालगंज।

विषयः– **मुख्यशीर्ष 3454 के राज्य स्कीम उपशीर्ष 0101– समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष से जिलान्तर्गत प्रखंडों में वर्षामापक यंत्रों का अधिष्ठापन तथा रख–रखाव हेतु ₹494520/–(चार लाख चौरानवे हजार पाँच सौ बीस रूपये) का आबंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक–428/वि० दिनांक–31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।

3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका–3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में निदेशालय के आवंटन आदेश संख्या–06 दिनांक 29.06.2017 द्वारा ₹5,00,000/–(पाँच लाख रुपये) का आवंटन आदेश निर्गत किया गया था जिसे निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या–281, दिनांक 11.08.2017 (ज्ञापांक–1791, दिनांक 11.08.2017) द्वारा रद् कर दिया गया है।

4. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के स्वीकृत्यादेश संख्या–1288 दिनांक 21.06.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में जिला अन्तर्गत प्रखंडों में वर्षामापक यंत्रों का अधिष्ठापन तथा रख–रखाव हेतु कुल अनुमानित व्यय पर स्वीकृत योजना के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार निदेशानुसार व्यय करने के लिए संशोधित राशि आवंटित किया जाता है।

5. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष–3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205– राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष–राज्य योजना, उप शीर्ष–0101–समग्र सांख्यिकी विकास योजना, विषय शीर्ष–13–01कार्यालय व्यय के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०–35 एवं विपत्र कोड–35-3454022050101 है।

6. संलग्न विवरणी के क्रमांक–1 से 16 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

7. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

8. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
9. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।
10. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
11. आबंटित राशि स्वीकृतादेश संख्या-1288 दिनांक 21.06.2017 के आलोक में जिलान्तर्गत प्रखंडों में वर्षामापक यंत्रों के अधिष्ठापन पर हुए अतिरिक्त व्यय की प्रति-पूर्ति हेतु नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि विकलनीय है।

विश्वासभाजन

11/8/17

निदेशक

बजट सहायक | प्रशाखा पदा0 | सहायक निदेशक

ज्ञापांक- 17 दिनांक- 11.08.17

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/8/17

निदेशक

ज्ञापांक- 17 दिनांक- 11.08.17

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी पटना, भोजपुर, गया, जहानाबाद, नवादा, बेगूसराय, बांका, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, सिवान एवं गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/8/17

निदेशक

ज्ञापांक- 17 दिनांक- 11.08.17

प्रतिलिपिः- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)

2. उप निदेशक (योजना), उप निदेशक (कृषि) एवं उप निदेशक (प्रकाशन) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
3. कार्यालय लेखापाल(दो प्रतियों में)/संबंधित कार्यालय परिचारी, निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने हेतु एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड करें।

11/8/17

निदेशक

आबटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, 0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050101

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन ईंधन एवं रख-रखाव	16-01 प्रकाशन एवं मुद्रण	20-03 प्रशिक्षण व्यय	26-01 विज्ञापन और प्रकाशन	कुल योग
1	2	4	5	6	7	8	9
जिला सांख्यिकी कार्यालय							
1	पटना	57060	-	-	-	-	57060
2	भोजपुर	38040	-	-	-	-	38040
3	नवादा	28530	-	-	-	-	28530
4	गया	47550	-	-	-	-	47550
5	जहानाबाद	19020	-	-	-	-	19020
6	बेगूसराय	19020	-	-	-	-	19020
7	बांका	19020	-	-	-	-	19020
8	किशनगंज	9510	-	-	-	-	9510
9	सहरसा	38040	-	-	-	-	38040
10	सुपौल	38040	-	-	-	-	38040
11	मधुबनी	47550	-	-	-	-	47550
12	मुजफ्फरपुर	9510	-	-	-	-	9510
13	पूर्वी० चम्पारण	66570	-	-	-	-	66570
14	प० चम्पारण	19020	-	-	-	-	19020
15	सिवान	19020	-	-	-	-	19020
16	गोपालगंज	19020	-	-	-	-	19020
	कुल योगः-	494520	-	-	-	-	494520

(चार लाख चौरानवे हजार पाँच सौ बीस रुपये) मात्र।

बजट सहायक | प्रशाखा पदा० | सहायक निदेशक 11.8.17 | निदेशक 11/8/17

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय